33

संख्या–1/श्रम विं0ई0–6–6021/2012श्र0सं0–
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

विश्वम्भर राम,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सचिव,
राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक–

विषयः– केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा में नियोजन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को सम्मिलित होने की अनिवार्यता तथा परीक्षा संचालन हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) के पत्रांक–2/24–22/2004–1040दिनांक– 26.08.2010 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–3/एम–109/2010– सा0–4088 दिनांक– 19.10.2010 के प्रसंग में कहना है कि बिहार नियोजन सेवा नियमावली, 1987 (प्रतिलिपि संलग्न) के नियम–36 (ङ) के अनुसार इस सेवा के पदाधिकारियों को सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित मानक से विभागीय परीक्षा में उर्त्तीण होना अनिवार्य है ।

2. परंतु " Rules for Departmental Examination of Gazetted Officers, 1961 के प्रावधानों के अनुसार श्रम संसाधन विभाग द्वारा इस संवर्ग के पदाधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम विहित कर विभागीय परीक्षा आयोजित करने हेतु राजस्व पर्षद को अधियाचना नहीं भेजे जाने के कारण राजस्व पर्षद द्वारा कोई परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है ।

3. अतः एतद् द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा में बिहार नियोजन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को सम्मिलित होने की अनिवार्यता का प्रावधान करते हुए परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा के पत्र/विषय एवं पाठ्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं :–

(i) परीक्षा के पत्र/ विषयः–

क्र0	पत्र/ विषय का नाम	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	परीक्षा की अवधि
1.	हिन्दी लिखित(पुस्तक रहित)	100अंक	60 अंक	केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा यथा निर्धारित ।
2.	विधि भाग–1 (पुस्तक सहित एवं पुस्तक रहित)	200 अंक	120 अंक	
3.	विधि भाग–2(पुस्तक रहित)	100 अंक	60 अंक	
4.	लेखा(पुस्तक सहित एवं पुस्तक रहित)	200 अंक	120 अंक	

(क्र0पृ0उ0)

4. उपरोक्त कंडिका–3 में अंकित पत्र/ विषय के लिए अंक/ पाठ्यक्रम निम्नांकित होंगे :-

(1) हिन्दी लिखित (पुस्तक रहित) – 100 अंक
(क) टिप्पणी – 20 अंक
(ख) प्रारूपण– 20 अंक
(ग) अनुवाद – 40 अंक (हिन्दी से अँग्रेजी– 20 अंक एवं अँग्रेजी से हिन्दी 20 अंक)
(घ) वाक्यों का शुद्धिकरण–20 अंक

(2) विधि भाग–I (पुस्तक सहित एवं पुस्तक रहित) – 200 अंक
(Cr. P.C., IPC, CPC, Evidence Act Etc.)

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ।

(3) नियोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम 1959 (Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959. – 100 अंक

(4) लेखा पुस्तक सहित एवं पुस्तक रहित– 200 अंक
बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली
बिहार सेवा संहिता, बिहार पेंशन नियमावली
सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली इत्यादि
(बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार) ।

5. यह तुरत प्रभावी होगा ।

अतः अनुरोध है कि केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा अगली संचालित राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा में बिहार नियोजन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त कंडिका–(3) एवं (4) में निर्धारित पत्र/ विषय एवं पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
ह0
(विश्वम्भर राम)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/श्रम वि0ई0–6–6021/2012श्र0सं0– 2966 पटना, दिनांक– 20.8.13

प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एव प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ सभी संयुक्त निदेशक, नियोजन/ सभी उप निदेशक, नियोजन/ सभी सहायक निदेशक, नियोजन / सभी नियोजन पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष) एवं आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

D:\kun